न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 46/2021
GCMS NO. : 2021/128

–:: सायल ::–	बनाम	–:: गैरसायलान ::–
1. आदुराम पुत्र अनोपराम जाति जंगलिया निवासी बलुपुरा पोस्ट राबड़ियावास तहसील जैतारण जिला पाली।		1. गोरधनलाल पुत्र अनोपराम 2. दिनेश पुत्र गोपालराम 3. बाजुडी पत्नि गोपालराम 4. मोहनलाल पुत्र अनोपराम 5. रूपाराम पुत्र अनोपराम 6. लक्ष्मणराम पुत्र अनोपराम 7. सुनिल पुत्र गोपालराम जातियान जंगलिया निवासीगण बलुपुरा पोस्ट राबड़ियावास तहसील जैतारण जिला पाली। 8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 22/09/2021

उपस्थितः. 1. श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री मुरारी लाल, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय :– **दिनॉकः 28/07/2022**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा बलुपुरा पटवार हल्का राबड़ियावास भू–अभिलेख निरीक्षक बलाड़ा तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में खसरा नम्बर 3/8 क्षेत्रफल 3.1565 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि आई हुई है। जो सायल एंव गैरसायलान की संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि है। जिसकी वर्तमान जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा कृषि भूमि में सायल का कुल रकबा में से 1/6 वां हिस्सा आता है तथा शेष हिस्सा गैरसायलान का है। जिस पर सायल एवं गैरसायलान अपने अपने हक हिस्से अनुसार काबिज खातेदार काश्तकार के रूप में अपनी हक हिस्से की भूमि का उपयोग करते चले आ रहे है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में सायल एवं गैरसायलान के मध्य मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 11:30:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

बाहमी बंटवाड़ा करीब 04 वर्ष पूर्व आपसी सहमति से हो रखा है तब से मौके पर माठे भी कायम हो रखी है जिसके तहत ग्राम बलुपुरा से दयालपुरा सड़क जाती है उस सड़क से एक आम रास्ता निकलता है इसी आम रास्ते के लगते ही उक्त वादग्रस्त आराजी स्थित है। जिसमें आम रास्ते के लगते ही सायल एवं गैरसायलान के बाड़े व रहवास स्थित है तथा पिछे की तरफ सायल एवं गैरसायलान के हिस्से अनुसार भूमि बंटी हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी की उत्तरी दिशा की तरफ सायल व गैरसायलान का एक सामलाती 12 फुट चौड़ा रास्ता भी छोड़ा हुआ है। जिससे सायल एवं गैरसायलान अपने अपने हक हिस्से की भूमि में आने जाने एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने एवं अपने मवैशी इत्यादि के आवाजाही हेतु उपयोग–उपभोग में लिया जाता है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी को सायल एवं गैरसायलान ने आपसी सहमति से फिते से नाप कर विधिवत तरीके से भूमि का बंटवाड़ा कर रखा है। जिसका नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। सायल ने अपने हक हिस्से की भूमि में वर्तमान में मुंग व तिल की फसल बो रखी है। सायल एवं गैरसायलान के मध्य उक्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाड़ा नही हो रखा है सायल ने अपने हक हिस्से की भूमि में खाद एवं उर्वरक पदार्थ इत्यादि डालकर एवं भूमि के रख रखाव एवं डोल पाल लगाकर एवं अपनी मेहनत से एवं अपने खर्चे से अपने हक हिस्से की भूमि को उपजाऊ एवं उर्जावान बनाया है सायल के उक्त भूमि के प्रति गैरसायलान की नियत हमेशा से ही बद्ध एवं खराब रही है एवं गैरसायलान पिछले काफी समय से फसल बुआई एवं सायल के हक हिस्से की भूमि में सायल द्वारा काश्त कार्य करने में जान बूझकर एवं सायल को अपने हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने की नियत से सायल को तंग परेशान करते रहे है तथा सायल के काश्त कार्य में बाधा उत्पन्न करना शुरू कर रखा है। जिससे सायल को अपने जान–माल का खतरा एवं अपनी हक हिस्से की भूमि छीन जाने का भय है इसलिए उक्त कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किया जाना न्यायतन आवश्यक है तथा सायल अपने हक हिस्से की भूमि का बतौर खातेदार काश्तकार होने से राजस्व रेकर्ड में अपनी भूमि को अलग से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के अलग बंटवाड़ा करवाने का कानूनन अधिकारी होने से यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध गैरसायलान के पेश है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नही होने का नाजायज फायदा उठाते हुये गैरसायलान एक राय होकर सायल के हक हिस्से की कृषि भूमि एवं मौके पर बाहामी बंटवाड़े तहत कायम पुरानी माठो के बीच स्थित भूमि में खड़ी फसल को नष्ट करने एवं लाठी के बल पर सायल को अपने हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने की नियत से सायल की भूमि पर आये और सायल के साथ गाली गलौच व लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हुये एवं गैरसायलान लाठी के बल पर सायल को अपने हक हिस्से की भूमि से बेदखल कर [illegible] व खड़ी फसल मुंग एवं तिल को नष्ट कर देगें व सायल को भूमि से बेदखल कर देंगे तो सायल को अपूरणीय क्षति कारित हो जायेगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर सम्भव नही होगी तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 11:30:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

सायल हमेशा हमेशा के लिये अपने सम्पैतिक अधिकारो से भी वंचित एवं महरूम हो जायेगा। इस प्रकार समस्त तथ्यो व परिस्थितियो एवं दस्तावेजात तथा मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर सायल के पक्ष में प्रथम दृष्टिया मामला बखूबी साबित है तथा जिस पर सायल बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है इसलिये सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में साबित व प्रमाणित है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि में सायल के अपने सेपरेट हक हिस्सा की भूमि में सायल मुतालिक तमाम काश्त कार्य करे या करावें तो उसमें गैरसायलान स्वयं व उनके अधिकृत प्रतिनिधि, पारिवारिक सदस्य, कारीगर, मजदूर, नौकर, चाकर, हाली एजेन्ट किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप व दखलंदाजी नही करे, तथा मूल वादपत्र के निस्तारण तक उक्त भूमि का बैचान, हस्तान्तरण इत्यादि करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से गैरसायलान को पाबन्द किया जायें तथा गैरसायलान संख्या 08 को आदेशित व निर्देशित किया जावें कि मूल वाद के निस्ताण तक की अवधि के दरम्यान गैरसायलान द्वारा उक्त भूमि के बैचान एवं हस्तान्तरण बाबत् कोई दस्तावेज पंजीयन कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है तो गैरसायलान संख्या 08 उस दस्तावेज को पंजीयन नही करे।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायल संख्या 2 व 4 से 6 बाद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायल संख्या 1, 3 व 7 को जवाब प्रा.पत्र पेश करने के अनेकानेक अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब प्रा.पत्र पेश नहीं करने से जवाब प्रा.पत्र बन्द किया गया। गैरसायल संख्या 1, 3 व 7 व उनकी ओर से अधिवक्ता न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस वकील सायल राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता सायल की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः-

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः-** पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में अप्रार्थी के विरूद्ध बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा.पत्र प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर उपलब्ध भू-अभिलेख अनुसार वादग्रस्त आराजी उभयपक्ष की अविभाजित सह-खातेदारी भूमि है। चुंकि उभयपक्ष सह-खातेदार है तथा वादग्रस्त आराजी अविभाजित कृषि भूमि है। लिहाजा किसी भी एक सह-खातेदार या केवल प्रार्थी के पक्ष में ही प्रथम दृष्टया मामला निहित होना नहीं माना जा सकता है। अतः उपरोक्त बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होने से प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 11:30:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

2. **सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षतिः–** प्रार्थी द्वारा प्रा.पत्र में यह अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी उभयपक्ष के मध्य हिस्से अनुसार बंटी हुई है एवं उसी अनुरूप काबिज काश्त है तथा मौके पर आवागमन के लिए सामलाती रास्ता भी छोडा हुआ है तथा उभयपक्ष के बाडे व रहवास स्थित है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के हक हिस्से में जानबूझकर दखलन्दाजी करते है तथा प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है।

प्रार्थी यह साबित करने में असफल रहे है कि जब उभयपक्ष हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है एवं रहवास एवं पशु बाडे स्थित है तो सुविधा का संतुलन केवल प्रार्थी के पक्ष में ही किस प्रकार निहित हो सकता है। साथ ही यह भी साबित करने में असफल रहे है कि उन्हें किस प्रकार अपूरणीय क्षति होना संभावित है। अतः उपर्युक्त दोनों बिन्दू भली भाँति साबित नहीं होने से प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी/वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),
जैतारण जिला–पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 28/07/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),
जैतारण जिला–पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 11:30:27 IST
Reason: SelfAttested